REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122020-223487 CG-DL-E-04122020-223487

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/ अग्रहायण 13, 1942 No. 535] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 3 दिसंबर 2020

सं.फेमा.6(आर)/ (3) /2020 – आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/आरबी-2015) (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 कहलाएगी।

5909 GI/2020

(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. नए विनियम 10 को समाविष्ट करना :

मूल विनियमावली में, विनियम 9 के बाद निम्नलिखित नए विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात,-

"10. करेंसी के निर्यात अथवा आयात को प्रतिबंधित करने संबंधी रिज़र्व बैंक की शक्तियाँ : इस विनियमावली में निहित किसी बात के होते हुए भी, रिज़र्व बैंक, जनहित में तथा केंद्र सरकार के साथ परामर्श कर के, मामले-दर-मामले के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा भारत सरकार के और/ अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोटों और/ अथवा विदेशी करेंसी को भारत में लाने अथवा भारत के बाहर ले जाने की राशि को प्रतिबंधित कर सकता है तथा उसके द्वारा आवश्यक समझी गई शर्तें निर्धारित कर सकता है। "

अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./395/2020-21]

टिप्पणी:

मूल विनियमावली दिनांक 29 दिसंबर 2015 के जी.एस.आर.सं.1004(ई) द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में इसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:

- i) दिनांक 26.02.2019 की अधिसूचना- जी.एस.आर. सं.151(ई); तथा
- ii) दिनांक 11.08.2020 की अधिसूचना सं. फेमा6(आर)/(2)/2020-आरबी (जो दिनांक 18.08.2020 को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd December 2020

No. FEMA 6 (R)/ (3)/2020-RB

Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Second Amendment) Regulations, 2020

In exercise of the powers conferred by clause (ga) of sub- section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2015 (Notification No. FEMA 6 (R)/RB-2015 dated December 29, 2015) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely: —

1. Short title & Commencement:

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Second Amendment) Regulations, 2020.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Insertion of new Regulation 10:

In the Principal Regulations, after Regulation 9, the following new regulation shall be inserted, namely, -

"10. **Reserve Bank's power to restrict export or import of currency**: Notwithstanding anything contained in these regulations, the Reserve Bank, may, in public interest and in consultation with the Central Government, restrict the amount of Indian currency notes of Government of India and/or of Reserve Bank, and/or foreign currency, on case-to-case basis, that a person may bring into or take outside India and prescribe such conditions as it may deem necessary."

AJAY KUMAR, Regional Director [ADVT-III/4/Exty./395/2020-21]

Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide GSR No.1004(E) dated December 29, 2015 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:

i) G.S.R. No. 151(E) dated 26.02.2019; and

ii) No. FEMA 6 (R)/ (2)/2020-RB dated 11.08.2020 (published in the Gazette on 18.08.2020)